



## राँची नगर निगम राजस्व शाखा नोटिस

पत्रांक : NOT/09012391768269

दिनांक : 09-01-2023

प्रेषित,

व्यवसाय का नाम : **BARANWAL ELECTRICAL**

नाम : **DINESH KUMAR**

पता : **UPPER BAZAR MAHAVIR CHOWK BHUCHAR GALI**

मो० न० : **N/A**

बजरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि **राँची नगर निगम** क्षेत्र में किसी भी भवन का गैर आवासीय उपयोग करने के लिए झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 के तहत म्यूनिसिपल अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह लाया गया है कि आपके द्वारा उपर्युक्त भवन का गैर आवासीय उपयोग बिना म्यूनिसिपल अनुज्ञप्ति प्राप्त किये जा रहा है, जो कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 का उल्लंघन है। यदि आपके पास भवन के गैर आवासीय उपयोग हेतु म्यूनिसिपल अनुज्ञप्ति प्राप्त है तो जन सुविधा केन्द्र या निगम समर्थित SRI PUBLICATION & STATIONERS PVT. LTD. के प्रतिनिधि को उपलब्ध करायें। **(कृपया नोटिस की छायाप्रति भी साथ में संलग्न करें)**

अतएव आपको निदेशित किया जाता है कि नोटिस प्रप्ती के तीन दिनों के अन्दर उपर्युक्त भवन के लिए म्यूनिसिपल अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लें अथवा भवन का गैर आवासीय उपयोग बंद कर लें तथा अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें, , अन्यथा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा 187 एवं 600 के तहत कार्यवाई प्रारम्भ की जायेगी एवं झारखण्ड नगरपालिका व्यापार अनुज्ञप्ति नियमावली 2017 के नियम 19 तथा 20 के तहत कार्यवाई की जायेगी।

**नोट: इसे अति आवश्यक समझें।**

**निबंधन पदाधिकारी,**

-सह-

**उप नगर आयुक्त,**

**राँची नगर निगम**